भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 17

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण

17. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2020-21 से देश में प्रदान की गई कुल संवितरण राशि और ब्याज आर्थिक सहायता सहित महिला उद्यमियों को स्वीकृत मुद्रा ऋणों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में 2020 से कुल मुद्रा ऋण लाभार्थियों में से ऋण लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है और उनके बीच औसत ऋण राशि और चुकौती दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार आन्ध्र प्रदेश में और जिले-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने ऋण स्वीकृत, जारी और संवितरित किए गए हैं;

(घ) देश में महिला उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी या रियायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ड.) देश में ग्रामीण और टियर-2/टियर-3 शहरों में महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण के संबंध में जागरुकता फैलाने और पहुंच को आसान बनाने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास राजसहायता प्राप्त मुद्रा ऋणों से लाभान्वित महिला उद्यमियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का पता लगाने के लिए कोई रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश के लिए जिलेवार जारी और संवितरित ऋणों की संख्या कितनी है;

(छ) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों की महिलाओं पर विशेष रूप से लक्षित कोई विशेष ऋण सुविधाएं या ऋण योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आन्ध्र प्रदेश के लिए जिले-वार जारी और संवितरित ऋणों की संख्या कितनी है; और

(ज) क्या सरकार ने महिलाओं विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने में इन योजनाओं की प्रभावशीलता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2025 तक महिला उद्यमियों को 10.26 लाख करोड़ रुपये के संवितरण के साथ कुल 20.41 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसकी राज्य-वार और वर्ष-वार सूची अनुबंध-I में दी गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत शिशु ऋणों की शीघ्र अदायगी पर 2 प्रतिशत की एकमुश्त ब्याज छूट भारत सरकार द्वारा जून, 2020 में पात्र उधारकर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए प्रदान की गई थी और 3.16 करोड़ से अधिक ऋण खातों में 636.90 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी।

महिला उधारकर्ताओं के लिए ब्याज सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है।

(ख): वर्ष 2020 से महिला उद्यमियों को लगभग 66% मुद्रा ऋण 51,188 रुपये की औसत ऋण राशि के साथ **सं**स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत लिंग-वार पुनर्भुगतान दर को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है।

(ग) से (च): अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत 24.22 लाख करोड़ रुपये के कुल वितरण के साथ कुल 30.91 करोड़ खातों को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश के लिए राज्य-वार और जिला-वार वितरण क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के 9 अप्रैल,2010 के परिपत्र के अनुसार, ब्याज दर (आरओआई) सहित बैंकों के ऋण संबंधी सभी मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अध्यधीन बैंक की अपनी ऋण नीतियों द्वारा अभिशासित होते हैं।

यह योजना छोटे कारोबारों, हस्तशिल्प, कृषि-संबद्ध गतिविधियों और पारंपरिक उद्यमों को वित्त पोषण प्रदान करती है, जिन पर कई महिलाएं आय के लिए निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, जिन महिलाओं के पास प्राय: संपार्श्विक या ऋण इत्तिवृत की कमी होती है, उन्हें पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए संपार्श्विक-मुक्त ऋणों से लाभ हुआ है।

जनसमर्थ पोर्टल और '59 मिनट में पीएसबी ऋण' प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म आवेदक संबंधी डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन के साथ व्यक्तियों और कारोबारों के लिए ऋण प्राप्त करने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण आवेदनों की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से बैंकों के दौरे की आवश्यकता कम हो गई है।

बैंक वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से संपर्क (आउटरीच) शिविर भी आयोजित कर रहे हैं और जागरूकता का सृजन कर रहे हैं।

सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचार अभियान, आवेदन पत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन और आबंटित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की निगरानी करने के लिए सरकार और बैंकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा शामिल है।

(छ) और (ज): स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना का शुभारंभ दिनांक 05.04.2016 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच मूल्य के ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जो कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को प्रदान करता है। स्टैंड अप इंडिया योजना ने शुरुआत से देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित महिला उद्यमियों को 22,567 से अधिक ऋणों की सुविधा प्रदान की है।

यह योजना मार्च 2025 तक वैध/चालू थी।

आंध्र प्रदेश के लिए जारी और वितरित किए गए ऋणों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या अनुबंध-IV और V में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इसके अतिरिक्त, एसयूआई का मूल्यांकन विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा भी किया जा रहा है।

*****

अनुबंध I

"महिलाओं को मुद्रा ऋण" के संबंध में दिनांक 1.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क) के लिए अनुबंध-I

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

(राशि करोड़ रुपए में)

	वित्तीय वर्ष->	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26*	
		महिला उद्यमी		महिला उद्यमी		महिला उद्यमी		महिला उद्यमी		महिला उद्यमी		महिला उद्यमी	
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण खातों की	संवितरित राशि	ऋण खातों की	संवितरित राशि	ऋण खातों की	संवितरित राशि	ऋण खातों की	संवितरित राशि	ऋण खातों की	संवितरित राशि	ऋण खातों की	संवितरित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,459	14.64	347	9.16	562	13.21	571	13.26	521	15.85	240	9.35
2	आंध्र प्रदेश	435,429	2,656.10	614,391	3,012.39	689,779	4,452.41	750,822	6,244.33	674,262	5,915.05	334,432	2,969.26
3	अरुणाचल प्रदेश	1,888	14.13	3,596	22.58	7,712	46.45	11,026	86.15	15,453	133.41	9,632	101.47
4	असम	853,482	3,648.38	651,561	3,259.10	351,662	2,270.10	203,922	1,097.59	246,703	1,741.09	196,300	1,120.09
5	बिहार	3,262,994	12,013.15	4,705,150	20,330.37	6,532,391	30,500.20	6,494,879	31,466.95	5,139,409	27,700.11	1,941,996	12,028.35
6	चंडीगढ़	7,243	42.32	1,763	26.75	2,792	29.25	3,479	30.51	4,764	36.93	545	15.11
7	छत्तीसगढ़	633,209	2,436.71	729,217	2,861.82	811,878	3,771.98	680,785	3,586.93	656,331	3,689.35	256,727	1,510.78
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और	3,109	38	3,532	28	3,116	23	492	7	629	15	259	8
9	दिल्ली	161,462	742.44	113,585	688.61	191,195	795.18	104,885	495.61	42,713	388.23	28,436	282.55
10	गोवा	17,931	130.67	16,610	139.35	24,131	203.40	18,886	181.38	11,461	127.84	4,673	65.76
11	गुजरात	914,455	3,700.86	1,036,032	4,731.33	1,141,667	5,883.22	1,053,086	5,593.00	743,200	4,666.12	371,485	2,797.99
12	हरियाणा	643,639	2,497.87	593,037	2,546.09	695,327	3,562.60	517,474	3,030.67	327,256	2,332.71	190,362	1,551.74
13	हिमाचल प्रदेश	40,754	224.54	26,301	159.17	41,759	363.85	36,693	337.50	26,310	354.62	13,212	177.99
14	झारखंड	1,252,260	4,315.28	1,468,060	5,497.45	1,621,485	6,533.48	1,539,551	6,812.25	1,160,664	6,179.49	481,758	2,951.49
15	कर्नाटक	3,103,875	12,437.79	2,988,512	11,954.46	3,886,919	17,996.61	4,600,828	23,450.78	3,439,457	22,267.83	1,015,232	7,678.82
16	केरल	1,105,155	4,271.41	1,166,805	5,086.11	1,123,464	6,630.60	1,317,404	7,892.42	1,396,499	8,559.41	493,227	3,485.93
17	लक्षद्वीप	506	4.12	130	2.36	456	3.35	481	5.31	476	6.17	255	3.88
18	मध्य प्रदेश	2,099,143	7,740.64	2,316,849	9,217.03	2,664,770	12,166.52	2,276,897	10,679.46	2,175,265	12,042.29	948,587	5,936.12
19	महाराष्ट्र	2,957,673	11,036.66	3,589,300	14,506.42	4,349,579	18,711.57	4,096,893	19,700.76	3,369,875	21,970.82	1,169,671	9,704.57
20	मणिपुर	27,806	132.04	22,323	151.89	27,882	200.46	5,274	60.61	4,743	96.65	3,540	81.82
21	मेघालय	28,334	126.62	12,452	92.84	12,721	105.05	11,893	104.26	9,794	109.68	5,257	64.93
22	मिजोरम	7,658	84.63	8,689	91.14	16,256	171.05	21,386	561.76	13,109	197.58	6,347	94.91
23	नागालैंड	14,286	101.34	10,954	95.48	7,915	93.17	7,559	103.29	12,335	139.99	6,372	90.30
24	ओडिशा	2,730,228	8,267.37	2,897,689	9,743.66	3,194,666	13,362.14	2,984,794	13,844.95	2,142,017	11,971.56	764,309	5,291.04
25	पांडिचेरी	77,157	322.45	87,320	397.87	57,541	324.87	87,011	554.36	51,449	374.73	20,496	214.06
26	पंजाब	582,580	2,054.19	621,930	2,484.08	733,555	3,658.16	475,957	2,684.99	272,225	2,082.71	172,646	1,373.88
27	राजस्थान	1,653,640	6,260.98	1,770,874	7,057.06	1,896,203	8,922.27	1,501,159	7,746.63	1,135,044	7,447.46	577,712	4,018.55
28	सिक्किम	7,641	67.58	6,827	79.12	7,634	89.49	7,363	72.23	6,084	70.49	3,183	36.54
29	तमिलनाडु	3,036,978	12,500.42	3,704,525	15,789.55	4,706,514	25,398.09	5,460,898	34,173.79	3,327,929	25,298.31	1,131,519	10,648.73
30	तेलंगाना	282,466	1,350.54	352,999	1,936.27	383,898	2,652.60	400,264	2,905.41	464,266	3,691.49	194,095	1,492.99
31	त्रिपुरा	208,478	1,110.98	286,215	1,861.15	250,570	1,514.63	113,784	523.25	111,334	567.89	48,909	277.17
32	उत्तर प्रदेश	2,673,110	9,580.36	3,726,510	15,234.52	4,354,563	19,527.50	4,515,469	21,144.60	3,088,006	16,627.66	1,457,061	9,365.20
33	उत्तराखंड	171,327	800.30	227,311	1,167.39	282,274	1,459.29	249,202	1,327.72	156,442	1,005.63	65,370	527.97
34	पश्चिम बंगाल	4,245,652	16,736.98	4,602,264	22,976.27	4,102,497	22,115.06	2,846,929	14,097.25	2,364,232	13,261.25	1,026,656	6,272.97
35	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	58,087	857.61	63,204	1,154.23	78,600	1,422.17	91,351	1,622.69	99,508	1,748.56	46,318	774.07
36	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	2,510	49.89	2,395	50.76	2,880	61.06	2,934	57.72	3,364	66.37	1,385	29.04
	कुल	**33,303,604**	**128,370.13**	**38,429,259**	**164,441.89**	**44,256,813**	**215,034.53**	**42,492,281**	**222,297.24**	**32,693,129**	**202,899.95**	**12,988,204**	**93,053.69**

*अनंतिम (अक्तूबर 2025 की स्थिति के अनुसार

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध II

"महिलाओं को मुद्रा ऋण" के संबंध में दिनांक 1.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (ग) के लिए अनुबंध-II

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

(राशि करोड़ रुपए में)

		कुल (01.04.2020 से 31.10.2025* तक)	
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**ऋण खातों की संख्या**	**संवितरित राशि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18,542	672.57
2	आंध्र प्रदेश	7,220,951	88,750.85
3	अरुणाचल प्रदेश	105,231	1,534.66
4	असम	4,843,106	40,966.33
5	बिहार	40,612,787	234,040.31
6	चंडीगढ़	89,782	1,787.18
7	छत्तीसगढ़	5,574,151	42,984.47
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	28,300	610
9	दिल्ली	1,485,345	22,881.24
10	गोवा	198,949	3,432.42
11	गुजरात	9,026,475	90,819.02
12	हरियाणा	5,576,838	51,125.03
13	हिमाचल प्रदेश	703,478	15,234.73
14	झारखंड	9,989,033	59,612.87
15	कर्नाटक	27,368,928	215,484.15
16	केरल	9,668,165	84,553.04
17	लक्षद्वीप	9,949	175.33
18	मध्य प्रदेश	18,290,999	128,242.19
19	महाराष्ट्र	24,515,733	204,231.83
20	मणिपुर	213,573	2,016.92
21	मेघालय	164,200	2,115.45
22	मिजोरम	114,981	2,296.78
23	नागालैंड	116,870	1,972.13
24	ओडिशा	18,786,443	109,908.83
25	पांडिचेरी	594,955	4,602.37
26	पंजाब	5,596,811	52,259.60
27	राजस्थान	13,934,692	126,384.59
28	सिक्किम	86,188	1,246.29
29	तमिलनाडु	30,355,866	230,055.48
30	तेलंगाना	4,300,789	52,577.16
31	त्रिपुरा	1,840,549	13,454.64
32	उत्तर प्रदेश	33,378,292	253,691.27
33	उत्तराखंड	2,000,595	21,813.09
34	पश्चिम बंगाल	30,357,950	219,570.00
35	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	1,849,985	39,492.76
36	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	54,907	1,547.03
	कुल	**309,074,388**	**2,422,142.43**

*अनंतिम

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध III

"महिलाओं को मुद्रा ऋण" के संबंध में दिनांक 1.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (ग) के लिए अनुबंध-III

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

(राशि करोड़ रुपए में)

	राज्य/जिले का नाम	कुल (01.04.2020 से 31.10.2025* तक)	
क्रम सं.	**आन्ध्र प्रदेश**	**ऋण खातों की संख्या**	**संवितरित राशि**
1	अल्लूरी सीताराम राजू	4,696	91.52
2	अनकपल्ली	52,095	381.19
3	अनंतपुर	509,577	5,413.57
4	अन्नामय्या	72,658	1,348.36
5	बापटला	63,690	689.78
6	चित्तूर	451,852	7,799.24
7	कडप्पा	348,072	3,944.43
8	ईस्ट गोदावरी	679,171	6,903.95
9	एलुरु	91,309	1,214.99
10	गुंटूर	558,736	5,741.27
11	काकीनाडा	48,963	822.99
12	कोनासीमा	63,518	741.27
13	कृष्णा	602,958	8,325.20
14	कुरनूल	437,413	4,792.94
15	नंदयाल	92,965	932.91
16	नेल्लोर	447,585	5,240.71
17	एनटीआर	65,190	1,883.20
18	पलनाडू	51,924	737.51
19	पार्वतीपुरम मन्यम	29,289	279.41
20	प्रकाशम	475,503	4,487.24
21	श्री सत्य साईं	100,533	1,033.48
22	श्रीकाकुलम	388,784	3,222.70
23	तिरुपति	126,675	2,108.44
24	विशाखापत्तनम	582,567	6,885.18
25	विज़ियानगरम	245,215	2,226.05
26	वेस्ट गोदावरी	335,185	3,984.32
27	अन्य #	294,828	7,519.03
	कुल	**7,220,951**	**88,750.88**

*अनंतिम

कुछ एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई के लिए जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध IV

"महिलाओं को मुद्रा ऋण" के संबंध में दिनांक 1.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (छ) और (ज) के लिए अनुबंध-IV

स्टैड-अप इंडिया

(राशि करोड़ रुपए में)

		महिला - स्वीकृत खातों की संख्या (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार)		
क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**एससी**	**एसटी**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार आइद्वीप समूह	7	9	16
2	आंध्र प्रदेश	2,067	354	2,421
3	अरुणाचल प्रदेश	6	285	291
4	असम	140	164	304
5	बिहार	568	29	597
6	चंडीगढ़	17	5	22
7	छत्तीसगढ़	136	106	242
8	दिल्ली	212	22	234
9	गोवा	20	6	26
10	गुजरात	659	306	965
11	हरियाणा	343	7	350
12	हिमाचल प्रदेश	131	73	204
13	जम्मू और कश्मीर	50	68	118
14	झारखंड	174	114	288
15	कर्नाटक	1,018	261	1,279
16	केरल	664	119	783
17	लद्दाख	3	59	62
18	लक्षद्वीप	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	528	168	696
20	महाराष्ट्र	1,210	328	1,538
21	मणिपुर	23	69	92
22	मेघालय	12	183	195
23	मिजोरम	4	228	232
24	नागालैंड	8	306	314
25	ओडिशा	393	126	519
26	पुडुचेरी	42	4	46
27	पंजाब	465	41	506
28	राजस्थान	769	454	1,223
29	सिक्किम	23	97	120
30	तमिलनाडु	2,991	388	3,379
31	तेलंगाना	1,476	1,020	2,496
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	6	11
33	त्रिपुरा	45	35	80
34	उत्तर प्रदेश	1,262	103	1,365
35	उत्तराखंड	170	55	225
36	पश्चिम बंगाल	1,247	81	1,328
	कुल	**16,888**	**5,679**	**22,567**

स्रोत: सिडबी

अनुबंधV

"महिलाओं को मुद्रा ऋण" के संबंध में दिनांक 1.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (छ) और (ज) के लिए अनुबंध-V

स्टैड-अप इंडिया

(राशि करोड़ रुपए में)

	राज्य/जिले का नाम	**महिला - स्वीकृत खातों की संख्या (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार)**		
क्रम सं.	**आन्ध्र प्रदेश**	**एससी**	**एसटी**	**कुल**
1	अनकापल्ली	2	1	3
2	अनंतपुरमु	57	21	78
3	अन्नामय्या	2	-	2
4	बापटला	9	1	10
5	चित्तूर	387	94	481
6	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	4	-	4
7	ईस्ट गोदावरी	188	16	204
8	एलुरु	21	3	24
9	गुंटूर	223	33	256
10	काकीनाडा	21	1	22
11	कृष्णा	205	29	234
12	कुरनूल	166	31	197
13	नंदयाल	11	-	11
14	एनटीआर	28	2	30
15	पलनाडू	18	7	25
16	पार्वतीपुरम मन्यम	-	-	-
17	प्रकाशम	124	14	138
18	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	179	30	209
19	श्री सत्य साई	1	1	2
20	श्रीकाकुलम	10	5	15
21	तिरुपति	8	1	9
22	विशाखापत्तनम	123	24	147
23	विज़ियानगरम	20	9	29
24	वेस्ट गोदावरी	82	7	89
25	वाई.एस.आर.	178	24	202
	कुल	**2,067**	**354**	**2,421**

स्रोत: सिडबी

*****